>

Title: Need to permit discretionary sanction of Rs. 10 lakh per assembly constituency from the MPLADS funds annually.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): लोक सभा सांसद के संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 12-13 लाख होती है तथा क्षेत्रफल भी बहुत विस्तृत होता है। मैं आभारी हूं केन्द्र सरकार का कि उसने सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के संबंध में आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए एमपीलैड्स की राशि लगभग ढाई गुना बढ़ाकर 2 करोड़ से 5 करोड़ रूपये कर दी है जिससे काफी हद तक संबंधित सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जनोपयोगी विकास कार्यों को स्वीकृत कर रहे हैं।

लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदया, सांसदों के साथ क्षेत्र भ्रमण के समय एक और समस्या प्रतिदिन आती है वह यह है कि जब दौरे के दौरान उस क्षेत्र में आगजनी, जनहानि, फसल हानि, आकस्मिक दुर्घटना आदि की जानकारी लगती है तो उस समय वह उनकी मदद करने की तीव्र इच्छा रखते हुए भी मौके पर कोई राहत सहायता राशि की घोषणा नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्वैच्छिक अनुदान जैसी राशि नहीं होती है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सांसद को उसके क्षेत्र में एमपीलैड्स की राशि में से प्रति विधान सभा कम से कम 10 लाख रूपये स्वैच्छिक अनुदान के रूप में स्वीकृत करने संबंधी अधिकार होना चाहिए।